			term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exits, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Group A Departmental Promotion Committee for considering promotion:- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Joint Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie –Member; 3. Joint Director (Training), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie –Member. **Composition of Group A Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:-** 1. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie – Chairman; 2. Joint Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie –Member; 3. Joint Director (Training), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No.13012/2/2004-Academy Desk]

SYED IMRAN AHMED, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल तथा विलिंगटन अस्पताल तथा नर्सिंग होम, नई दिल्ली, (फिजियोथेरेपिस्ट), भर्ती नियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, फिजियोथेरेपिस्ट (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता, आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फिजियोथेरेपिस्ट	20* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :-** आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी| (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री, ii) किसी सरकारी अस्पताल से या किसी कम से कम 100 बिस्तरों वाले निजी अस्पताल से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

ख) वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी ब्रांच में फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री **टिप्पण-1** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण -2** अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी 1-** पदधारी की प्रतिनियुक्त या लम्बी बिमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी- क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और (ii) वेतन बैंड 2, 9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन + 4800 रुपए के वेतमान में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - (i). अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -अध्यक्ष (ii). विभागाध्यक्ष, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य	लागू नहीं होता

(iii) निदेशक या उप निदेशक, प्रशासन (एम एच अनुभाग के प्रभारी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य (iv) उप निदेशक प्रशासन (सफदरजंग अस्पताल) -सदस्य	

[फा. सं. ए.-11018/17/2007 –एम एच II पार्ट]

जी. ए. रघुवंशी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th April, 2018

G.S.R. 119.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital and the Wellingdon Hospital and Nursing Home, New Delhi (Physiotherapists), Recruitment Rules, 1969, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Physiotherapist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, Physiotherapist, (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2018.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. –** The method of recruitment age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Physiotherapist	20* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non - Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note.** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Union territory of Lakshdweep.	(i) Bachelor degree in Physiotherapy from a recognised University; (ii) two years' practical experience in Physiotherapy from a Government hospital or Private hospital with at least hundred beds. **Desirable:** Master degree in Physiotherapy in any branch from a recognised university or Institute. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commisssoin or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two Years.	By direct recruitment. **Note 1 :** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government - (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) with two years regular service in the posts in the scale of Rs. Pay band 2, Rs. 9300-34800 plus 4800 Grade pay; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i)Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital - Chairman (ii)Head of Department, Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Safdarjung Hospital -Member. (iii)Director or Deputy Director Administration. (In-charge of (MH Section), Directorate General of Health Service -Member (iv) Deputy Director Administration (Safdarjung Hospital) -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.-11018/17/2007-MH II Pt]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल तथा डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट) तथा प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी), भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट (सफदरजंग अस्पताल तथा डा. आर एम एल अस्पताल) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2018 है।

   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।